

30.1.25

पत्रावली पेश हुई। वादी अधिभाषक
 श्री जितेन्द्र अहिर उपरिषत्। प्रतिवादी अधिभाषक
 उपरिषत्। वादी अधिभाषक द्वारा प्रकरण
 में कार्यवाही नहीं चाहने का निवेदन कर
 प्रकरण को Not Proceed कर अपने सुस्थ
 दफ्तर भिजे। लिहाजा प्रकरण में कार्यवाही
 इसी स्टेज पर ड्रॉप की जाती है। प्रकरण
 फ़ैसल नुमा कर दारिजम दफ्तर है।

Not
 proceed
 with

उपखण्ड अधिकारी
 गढ़ी, जिला बाँसवाड़ा

